| हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए |
|---|---|
| 30/3/20 पत्रावली पेश हुई। लॉकडाउन होने के कारण इकजाही तारीख पेशी दी [illegible] से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/6/20 को पेश हों। | |
| 29/6/20 पत्रावली पेश हुई। लॉकडाउन होने के कारण इकजाही तारीख पेशी दी [illegible] से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/9/20 को पेश हों। | |
| 29/9/2020 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. I.P.O सा. चौर पर हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19/11/2020 को पेश हो। | |
| 19/11 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ हैं। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 30/12/20 को पेश हों। | |
| 30/12/2020 वकील प्रार्थी उप०। बहस हेतु अवसर चाहा। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 4/2/2021 को पेश हो। | |
| 4/2/21 [illegible]त्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O. सा[illegible] [illegible]न्य कार्यों में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/2/21 को पेश हो। | |
| 5/2/2021 वकील प्रार्थी उप०। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 22/2/2021 को पेश हो। | |
| 22/2/2021 वकील प्रार्थी उप०। प्रार्थी का [illegible] साबित नहीं होने से खारिज किया [illegible] शुरू से लिखा आकर शामिल मिसल किया गया एवं खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। | |
| (ब्रजेश कुमार) | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:06:57 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी : बृजेश कुमार,आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या 44/2018

उनवान

1. झाबरमल पुत्र जंगाराम जाति गुर्जर निवासी खोरी तहसील नीमकाथाना।

.........प्रार्थी......

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, नीमकाथाना जिला सीकर।
2. नायब तहसीलदार पाटन जिला सीकर।

.........अप्रार्थीगण.......

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम,1956**

उपस्थितः– श्री हंसराज तंवर अधिवक्ता–प्रार्थी

निर्णय दिनांकः– 22.02.2021

संक्षेप में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि ख.न. 48/1 रकबा 0.81 है.ग्राम खोरी पटवार हल्का डूँगाकीनांगल तहसील नीमकाथाना में स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी जरिये ना0क0 सं. 83 की अनुपालना में ख.न. 48/2 रकबा 0.15 है. गै.मु.आवादी में दर्ज है। उक्त भूमि पाटन से डाबला आम सड़क के पूर्वी और स्थित है। नवीन सैटलमैन्ट के दौरान उक्त भूमि ख.न. 48/1 के नवीन ख. न. 76 रकबा 0.01 है. 0 77 रकबा 0.80 है. दर्ज किये गये। पुराने भूमि ख.न. 48/1 के नवीन सैटलमैन्ट में नवीन ख.न. 76 व 77 दर्ज करने की कार्यवाही की गई तथा ना.क. सं. 83 की अनुपालना में दर्ज ख.न. 48/2 गै.मु. आबादी क्षेत्र नवीन सैटलमैन्ट में ख.न. 77/235 में स्थित है लेकिन नवीन सैटलमैन्ट के दौरान नवीन राजस्व नक्शों में पूर्व के नक्शे अनुसार तरमीम नही की गई जबकि ख.न. 48/2 का उक्त आबादी क्षेत्र नवीन राजस्व नक्शों के अवलोकन से नवीन [illegible] 77/235 के उत्तरी और नवीन भूमि ख.न. 60 में स्थित है। इस प्रकार सैटलमैन्ट कर्मचारियों द्वारा मौके की स्थिति के विपरीत तरमीम की गई है। अतः [illegible] किया जावें एवं पुराने भूमि ख.न. 48/2 की तरमीम पुराने राजस्व नक्शे के अनुसार नवीन राजस्व नक्शों में करवायी जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:06:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अप्रार्थी की और से जबाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दौहराते हुये अनुरोध किया कि सैटलमैन्ट कर्मचारियों द्वारा पुराने भूमि ख.न. 48/2 रकबा 0.15 है. किस्म गै.मु. आबादी जिसके नये ख.न. 77/235 रकबा 0.15 है बने है उसको पुराने नक्शे के अनुसार नये नक्शें में तरमीम नही की जाकर मौके के विपरित तरमीम कर दी गई। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का डूगाकीनांगल दिनांक 05.03.2015 से भी होती है। तरमीम गलत होने से हमारे पटटे नही बने रहे है। ग्राम पंचायत ने भी तरमीम दुरूस्ती बाबत निवेदन किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गयी व पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड एवं दस्तावेज जबाब तहसीलदार नीमकाथाना, रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड, नई,पुरानी जमाबन्दी मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से पाया गया कि पुराने ख.न. 48/2 रकबा 0.15 है.किस्म गै.मु. आबादी के नये ख.न. 77/235 रकबा 0.15 है. बने है। रिपोर्ट पटवारी हल्का डूँगाकीनांगल दिनांक 05.03. 2015 से पाया गया कि मौके पर आबादी ख.न. 60 में बसी हुई है । प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 60 से सम्बंधित कोई रिकार्ड पेश नही किया है जिससे यह भी ज्ञात नही होता है कि ख.न. 60 की खातेदारी किसके नाम दर्ज है तथा ना ही ख.न. 60 के खातेदारो को प्रकरण में पक्षकार बनाया है यहां तक की ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया है जबकि यह प्रकरण में हितबद्व एवं आवश्यक पक्षकार है। अतः बिना हितबद्व एवं आवश्यक पक्षकारो को सुने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधि सम्वंत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:06:57 IST
Reason: SelfAttested